प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.12.2025

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.12.2025 को वादिया द्वारा थाना लोनी पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त दानिश पुत्र नौशाद निवासी हुसैनपुर कला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा शादी का झांसा देकर वादिया के साथ शारीरिक संबंध बनाना व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा 69/115(2) /351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 10.12.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दानिश पुत्र नौशाद निवासी हुसैनपुर कला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 20 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी के हल्का चौकी अशोक विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी वादिया से 03 वर्ष पूर्व फोन के माध्यम से बातचीत हुई थी तभी से हम दोनों आपस में मिलने लगे थे। मैंने वादिया को शादी करने का आश्वासन दिया था तथा इसी दौरान हम दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बने थे। परन्तु वादिया बार-बार मुझसे शादी करने का दबाब बना रही थी इसी बात पर मेरा वादिया से झगडा हो गया गुस्से में आकर मैंने वादिया के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दानिश पुत्र नौशाद निवासी हुसैनपुर कला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी पुलिस टीम ।

थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण कर चोरी करने वाले गिरोह के चार सदस्य किये गिरफ्तार । भारी मात्रा में सफेद व पीली धातु , नकदी व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद (माल मशरूका कीमत करीब 25 लाख रु0)

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 17 नवम्बर 2025 को थाना सिहानी गेट क्षेत्र के अशोक नगर मे वादिया अंबर परिधि सहाय पुत्री स्व0 गोपाल सहाय, नि0 बी 15, अशोक नगर, थाना सिहानीगेट गाजियाबाद के बंद मकान में चोरी की घटना हुई थी। इस संबंध में तत्काल थाना सिहानी गेट पर मु0अ0सं0 393/2025,धारा 331(4)/305(a) BNS पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु तत्काल प्रभाव से ही टीमों का गठन किया गया था। जिन्होंने करीब 100 सीसीटीवी कैमरे, लोकल इनपुट, मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना का सफल अनावरण कर चोरी करने वाले 04 शातिर अभियुक्तों को मय चोरी गए माल सहित गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही का विवरण

दिनांक 11 दिसम्बर 2025 को थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्विलांस टीम नगर जोन के सहयोग से अशोक नगर में हुई बड़ी चोरी का सफल अनावरण किया गया है। पुलिस टीम ने दिल्ली की ओर भागने का प्रयास कर रहे चार आरोपियों को एक स्विफ्ट कार (UP30AX6080) सहित गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्तों के कब्जे से सफेद व पीली धातु, 63,000 रुपये नकद और तीन एंड्रॉयड मोबाइल सहित भारी मात्रा में माल बरामद किया गया है।

गिरफ्तारी की कार्यवाही

दिनांक 11.12.2025 को थाना सिहानी गेट पुलिस टीम को होली चाइल्ड स्कूल के पास मुखबिर खास से सूचना मिली कि चोरी में वांछित आरोपी एक स्विफ्ट कार से दिल्ली जाने के फिराक में हैं। सूचना के आधार पर थाना सिहानी गेट पुलिस टीम ने आरडीसी फाटक एवं हमदर्द ग्राउंड के पास बैरियर लगाकर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान एक सफेद स्विफ्ट कार को रोककर आज दिनाँक 11/12/25 को चार व्यक्तियों को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अभियुक्त जमशेद व उसकी पत्नी को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था । शेष अभियुक्तों की तलाश हेतु पुलिस टीम लगातार प्रभावी प्रयास कर रही थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. शिवम पुत्र इंदरपाल
2. विशाल पुत्र इंदरपाल
3. इंद्रपाल पुत्र बसंतलाल
4. माला देवी पत्नी इंद्रपाल

समस्त निवासीगण — ग्राम अकरोली, थाना बनियाठेर, जनपद संभल वर्तमान पता — बजरंग विहार कॉलोनी, ज्वालानगर, थाना सिविल लाइन, जनपद रामपुर

आपराधिक इतिहास

इंदरपाल पुत्र बसंतलाल उपरोक्त अंतर्राज्यीय पेशेवर घरफोड़ – चोरी गैंग का सक्रिय सदस्य, जो दिल्ली–UP–NCR में लगातार सक्रिय है। अभियुक्त के विरुद्ध 19 (Delhi + UP सभी जिलों सहित) मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्त एक Habitual Offender (पुनरावर्ती अपराधी) है, जिसके विरुद्ध दिल्ली में 10 , जनपद रामपुर में 03 व जनपद गाजियाबाद के थाना सिहानीगेट व लिंकरोड पर 06 गंभीर आपराधिक मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। इनमें अधिकांश धारा—454, 457, 380, 411 IPC, तथा गैंगस्टर एक्ट 2/3 से जुड़े हैं।

<u>बरामदगी-</u>

सफेद व पीली धातु के आभूषण व बर्तन आदि
₹63,000 नकद
03 एंड्रॉयड मोबाइल फोन
02 आधार कार्ड
एक्सिस बैंक पासबुक जिसमें घटना से संबंधित 5 लाख रुपये जमा पाए गए
स्विफ्ट कार UP30AX6080 — धारा 207 MV Act में सीज

<u>पूछताछ का विवरण</u>

पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वह कबाड़ी बनकर क्षेत्र में घूमते थे और बाहर से ताला लगे मकानों को निशाना बनाते थे। चोरी वाले दिन जमशेद को दीवार फांदकर घर में घुसाया था जिसने पेचकस व कैंची से ताले तोड़े थे तथा चोरी से प्राप्त गोल्ड को मुरादाबाद ले जाकर गलवाया व चांदी की सिल्लियाँ बनवाई गई।चोरी की रकम व कुछ माल की बिक्री में से 7 लाख रुपये प्राप्त हुए, जिसमें से 5 लाख रुपये माला देवी के खाते में जमा किए गए। आज अपने साथी जमशेद की जमानत कराने और चोरी का बचा माल दिल्ली में बेचने जा रहे थे। बरामद मोबाइल फोन व बैंक पासबुक इस लेन-देन से सीधे जुड़े पाए गए है।

<u>गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली टीम</u>

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम

ग्रामीण जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व साइबर/सर्विलांस टीम द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 238 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये) रिकवर कर मोबाइल फोन स्वामियों को लौटाये गये।

CEIR (सेन्ट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटीटी रजिस्ट्रर) पोर्टल पर ग्रामीण जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल चोरी व मोबाइल खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए ग्रामीण जोन साइबर/सर्विलांस टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 238 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये) की बरामदगी की गई है। सभी थानों व साइबर/सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। बरामद किये गये मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के स्वामियों की पहचान कर प्रदान किये गये हैं।

पूर्व में भी ग्रामीण जोन पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व साइबर/सर्विलांस टीम द्वारा कुल 698 मोबाइल फोन बरामद कर मोबाइल फोन के स्वामियों की पहचान कर सुपुर्द किये जा चुके हैं। वर्ष-2025 में अब तक कुल 936 मोबाइल फोन बरामद कर मोबाइल स्वामियों को लौटाए जा चुके हैं।

थानावार मोबाइल फोन बरामदगी का विवरणः-

1. थाना लोनी – 20
2. थाना ट्रोनिका सिटी – 15
3. थाना अंकुर विहार – 25
4. थाना लोनी बॉर्डर – 24
5. थाना मसूरी – 65
6. थाना मुरादनगर – 28
7. थाना मोदीनगर – 30
8. थाना निवाड़ी- 15
9. थाना भोजपुर- 16

कुल योग – 238

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर चाची के हत्यारे को दिलाई आजीवन कारावास की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक निरीक्षक श्री विशाल श्रीवास्तव थाना इंद्रापुरम द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कौशिक द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना इंद्रापुरम, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 302/394/411 भादवि में अभियुक्त हरिओम उर्फ जोनी उर्फ हेमन्त पुत्र सुभाष सिंह सैनी निवासी नरेन्द्र यादव के मकान में किरायेदार छिजारसी, थाना फेस-03 गौतमबुद्धनगर स्थायी पता भटियाना खुशहालपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर को, मा०अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-10 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 11.12.2025 को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 394 भादवि में 10 वर्ष का कठिन कारावास व 40 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 411 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादी की पत्नी से लूटपाट करके उनकी गला काटकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 30.10.2015 को थाना इंद्रापुरम पर उपरोक्त अभियोग अज्ञात में पंजीकृत कराया गया था पुलिस द्वारा घटना स्थल से प्राप्त सबूत एवं सुसंगत साक्ष्यो के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त हरिओम उर्फ जोनी उर्फ हेमन्त पुत्र सुभाष सिंह सैनी को जेल भेजा गया था तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।